कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर

''प्रेस–विज्ञप्ति''

कमांक/ /वि.स.निर्वा./2018/ जबलपुर दिनांक– 20–11–2018

दिनांक 28–11–2018 को मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन के लिये मतदान नियत है। इसके परिपेक्ष्य में दिनांक 27–11–2018 को मतदान कर्मियों को शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विधालय (एम.एल.बी) जबलपुर से सामग्री वितरण होना है। जिसमें विधान सभा बरगी, पाटन, सिहोरा, पनागर के लिये प्रातः 6:00 बजे से एवं दोपहर 12:00 बजे से विधान सभा केन्ट, उत्तर (मध्य), पूर्व, पश्चिम के लिये सामग्री प्रदाय की जावेगी। निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के लिये जिले भर से काफी संख्या में वाहनों को अधिग्रहित किया जा रहा है।

दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाले मतदान कर्मियों को दिनांक 27–11–2018 को मतदान सामग्री वितरण स्थल पर पहुँचने में परिवहन व्यवस्था उपलब्ध न होने पर उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। अतः ऐसी स्थिति में मतदान कार्य में संलग्न कर्मियों को दिनांक 26–11–2018 की रात्रि में जबलपुर में उपस्थित होना आवश्यक है। ऐसे मतदानकर्मी जिनके पास जबलपुर शहर में निवास हेतु व्यवस्था नहीं है उनके लिये जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। जिसमें सभी आवश्यक व्यवस्थाऐं जैसे कि स्वच्छ पेयजल, भोजन, बिस्तर, प्रसाधन इत्यादि की व्यवस्थाऐं है। पुरूष मतदानकर्मियों हेतु आबंटित विधानसभावार ठहरने की व्यवस्था निम्नानुसार है–

कं0	पुरूष मतदान कर्मियों को आबंटित विधान सभा का नाम	ठहरने का स्थान
1	विधान सभा क्षेत्र सिहोरा	इकबाल भवन भँवरताल के पास जबलपुर
2	विधान सभा क्षेत्र पाटन	पंजाबी हिन्दू एसोसियेशन होमसांइस कालेज मार्ग जबलपुर
3	विधान सभा क्षेत्र पनागर	आर्शीवाद भवन आगा चौक जबलपुर
4	विधान सभा क्षेत्र बरगी	सिंधी धर्मशाला घंटाघर जबलपुर

इसी प्रकार सभी विधानसभाओं के लिये (बरगी, पाटन, सिहोरा, पनागर, केन्ट, उत्तर (मध्य), पूर्व, पश्चिम) महिला मतदान कर्मियों के लिये भी ठहरने हेतु निम्न स्थान चिन्हित किया है। महिला मतदान कर्मियों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबंध किया गया है।

कं0	महिला मतदान कर्मियों को आबंटित विधान सभा का नाम	ठहरने का स्थान
1	सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिये	गोपाल सदन दमोहनाका के पास जबलपुर

जिन मतदानकर्मियों के पास जबलपुर शहर में निवास की व्यवस्था नहीं है वे उपरोक्तानुसार स्थानों पर दिनांक 26–11–2018 की रात्रि को निवास कर सकते है।

(छबि भारद्वाज)
कलेक्टर
जिला जबलपुर

प्रतिलिपिः–

1. उप संचालक सूचना एवं प्रकाशन जबलपुर की ओर स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जबलपुर की ओर मैसेज हेतु सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला जबलपुर